



स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव की पुनरकल्पना

यह एडिटरियल 06/12/2022 को 'हदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित "India is paving the way for truly accessible elections" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में चुनाव और उनसे संबंधित चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

भारतीय संविधान के संस्थापकों ने प्रतनिधिक संसदीय लोकतंत्र की कल्पना भारत के लोकाचार, पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं के लिये सबसे उपयुक्त राज्य व्यवस्था के रूप में की थी।

- उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी वयस्क नागरिकों की बना किसी भेदभाव के समान भागीदारी की परिकल्पना की थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) के माध्यम से लोगों के प्रतनिधियों का **चयन और स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनाव** (Free And Fair Elections) भारतीय गणतंत्र के लिये सबसे उपयुक्त प्रतीत होते हैं।
- भारत में चुनावों का आयोजन लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, विधान परिषद, स्थानीय निकाय, नगर नगिम, ग्राम पंचायत, ज़िला पंचायत एवं प्रखंड पंचायत के सदस्यों के नरिवाचन के साथ ही राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के नरिवाचन के लिये कराया जाता है।
- लेकिन मौजूदा चुनाव प्रणाली कई चुनौतियों का सामना कर रही है जो इसकी 'स्वतंत्र एवं नषिपक्ष' प्रकृति के बारे में संदेह उत्पन्न करती हैं। इसलिये यह ज़रूरी है कि इन मुद्दों की सावधानीपूर्वक जाँच की जाए और इन्हें समग्र रूप से संबोधित किया जाए।

भारत में चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के **अनुच्छेद 326** में प्रावधान है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर आयोजित होंगे।
- **अनुच्छेद 324** के अनुसार, नरिवाचनों के लिये नरिवाचक-नामावली (मतदाता सूची) तैयार कराने का और उन सभी नरिवाचनों के संचालन का अधीक्षण, नदिशन और नरिचक्षण **नरिवाचन आयोग में नहिति होगा**।
- **अनुच्छेद 243K और 243ZA** के तहत स्थानीय निकायों—पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव की ज़िम्मेदारी **राज्य चुनाव आयोगों** पर है।
- अनुच्छेद 328 राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।

नरिवाचन आयोग की शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ

- पूरे देश में नरिवाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं का नरिधारण।
- मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर उन्हें संशोधित करना तथा सभी अरहत मतदाताओं को पंजीकृत करना।
- चुनावों के कार्यक्रम और तथियों को अधिसूचित करना तथा नामांकन पत्रों की जाँच करना।
- विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना।
- चुनाव के बाद संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों की अयोग्यता के मामले में आयोग के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है।
- आवश्यकता पड़ने पर किसी भी नरिवाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिये भी यह ज़िम्मेदार है।

भारत में स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनाव से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

- **मतदाताओं के सूचना-संपन्न नरिणयन को वकित करना:** अनरिचरित लोकलुभावनवाद के कारण **चुनाव अभियानों के दौरान 'अतारककि मुफ्त उपहारों'** (Irrational Freebies) की पेशकश की जाती है जो मतदाताओं को (वशेष रूप से वंचित समूहों के मतदाताओं को) पक्षपाती बनाता है क्योंकि ऐसे मुफ्त उपहार उन्हें प्रभावित कर सकते हैं और अपने प्रतनिधियों को चुनने की सूचना-संपन्न नरिणयन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
- **स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी:** चूँकि भारत नरिवाचन आयोग (ECI) के पास स्वयं के कर्मचारी नहीं होते हैं, इसलिये जब भी चुनाव होते हैं तो इसे कर्मियों के लिये केंद्र और राज्य सरकारों पर नरिभर रहना पड़ता है।
- परणामस्वरूप, प्रशासनिक कर्मचारी ही सामान्य प्रशासन के साथ-साथ चुनावी प्रशासन के लिये भी ज़िम्मेदार होते हैं, जो चुनावी प्रक्रिया को कम नषिपक्ष और कुशल बनाता है।

- **आदर्श आचार संहिता (MCC) को लागू करने के लिये कोई सांविधिक समर्थन नहीं:** जहाँ तक आदर्श आचार संहिता (MCC) को लागू करने और अन्य चुनाव संबंधी नरिणियों का संबंध है, इन्हें ज़मीनी स्तर पर प्रवर्तित करने के लिये भारत नरिवाचन आयोग (ECI) की शक्तियों के बारे में स्पष्टता का अभाव है।
- **‘बूथ कैपचरिंग’:** मतदान केंद्र—जो मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु नरिदष्टि स्थान होता है, चुनाव प्रक्रिया का अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग है।
 - राजनीतिक नैतिकता के मानकों में गरिब के कारण ‘बूथ कैपचरिंग’ के कई दृष्टांत सामने आते रहे हैं जहाँ किसी पार्टी के वफादार या भाड़े के अपराधी मतदान केंद्र पर ‘कब्जा’ कर लेते हैं और वैध मतदाताओं के बदले स्वयं मतदान करते हैं ताकि किसी उम्मीदवार वरिष की जीत सुनिश्चित हो सके।
- **सोशल मीडिया का राजनीतिकरण:** सोशल मीडिया जनमत को दर्शाता है, जो लोकतंत्र की मुद्रा है। लेकिन सोशल मीडिया की सबसे आम आलोचनाओं में से एक यह है कि यह एक ‘इको चैंबर’ (echo chambers) का नरिमाण करता है जहाँ लोग केवल उन्हीं दृष्टिकोणों को देखते हैं जिनसे वे सहमत होते हैं।
 - सोशल मीडिया पर चलने वाले राजनीतिक अभियान कभी-कभी देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक और सामाजिक तनाव पैदा कर देते हैं जो फरि नषिपक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
- **दवियांगजनों के लिये बूथ की दुर्गमता:** दवियांगजनों (PWD) की एक बड़ी संख्या को मतदान केंद्रों पर सहायक बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण अपना मत डालने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

भारत नरिवाचन आयोग की हाल की प्रमुख पहलें

- **व्यवस्थित मतदाता शक्ति और चुनावी भागीदारी (Systematic Voters' Education and Electoral Participation- SVEEP)**
 - आदर्श मतदान केंद्र (Model Polling Station)
- **राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सुगम चुनाव के लिये समिति (Committee for Accessible Elections at National and State Level)**
- **मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (Electors Verification Programme)।**
- **Cvigil ऐप - आदर्श आचार संहिता (MCC) के उल्लंघन की रपिरट करने के लिये**
- **मतदाता हेल्पलाइन ऐप - पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये**
- **दवियांग सारथी और दवियांग डोली**

आगे की राह

- **चुनावों का लोकतंत्रीकरण:** लोकतंत्र में सभी दलों के लिये समानता की मांग की जाती है और स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनाव उन अवसरों को सुनिश्चित करते हैं।
 - यह सुनिश्चित करने के लिये की अल्पसंख्यक राजनीतिक अभियानों पर भी समान ध्यान दिया जाए, राजनीतिक उद्देश्यों हेतु सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में कठोर मानदंड स्थापित किये जाने चाहिये।
 - भारत नरिवाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिये वृहत प्रयास करना चाहिये कि चुनाव में सत्तारूढ़ दल को अन्य दलों की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो।
 - राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप चुनावी अभियानों के संदर्भ में व्यक्तिगत डेटा के उपयोग पर नरिंत्रण सुनिश्चित करने के लिये वनियमन होने चाहिये।
- **कोई भी मतदाता मताधिकार से वंचित न हो:** स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनाव आयोजित कराने के साथ ही नरिवाचन आयोग को आवश्यक बुनियादी ढाँचा एवं सुविधाएँ प्रदान करके (वरिष रूप से दवियांगजनों के लिये) "सहभागी, सुगम, समावेशी" चुनाव सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने चाहिये।
- **मतदाता जागरूकता:** मुफ्त उपहारों के वरिण को रोकने या उन्हें स्वीकृत करने की शक्ति मतदाताओं के पास है। तर्कहीन मुफ्त उपहारों को वनियमित करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदाता तर्कहीन वादों के बहकावे में न आएँ, एक सर्वसम्मत होनी चाहिये।
 - इसके लिये मतदाता वर्ग की ओर से शाश्वत सतर्कता की आवश्यकता है।
- **आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना:** राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन आवश्यक है। इसके लिये इसे सांविधिक समर्थन प्रदान करना आवश्यक है ताकि सूचना-संपन्न मतदाता व्यवहार में हेरफेर को रोकने के लिये चुनाव घोषणापत्रों को प्रभावी ढंग से वनियमित किया जा सके।
- **चुनाव सुधार पर वधि आयोग की 255वीं रपिरट:** रपिरट में लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय की तरह भारत नरिवाचन आयोग के लिये भी एक स्वतंत्र और स्थायी सचिवालय प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।
 - इसके अलावा, राज्य नरिवाचन आयोगों के लिये भी समान प्रावधान करने चाहिये ताकि चुनावों में उनकी स्वायत्तता और नषिपक्षता की भी गारंटी सुनिश्चित हो सके।

अभ्यास प्रश्न: भारत में चुनावों से संबंधित प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें और चुनावी प्रक्रिया को अधिक समावेशी एवं नषिपक्ष बनाने के उपाय सुझाएँ।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वरिगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????? ?????:

प्रश्न. नमिन्लखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (वर्ष 2017)

1. भरत कल नरिवाचन आयोग पाँच सदस्यीय नकिय है ।
2. केंद्रीय गृह मंत्रलय आम चुनलव और उपचुनलव दोनों के संचलन के ललए चुनलव कलर्यकुरम तय करतल है ।
3. चुनलव आयोग मलन्यतल प्रलप्त रलजनीतकल दलों के वभलजन/वललिय से संबंधति ववलदों कल समलधलन करतल है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सल/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2
- (C) केवल 2 और 3
- (D) केवल 3

उत्तर: (D)

????? ???? ???? ???? ?

प्रश्न. आदर्श आचलर संहति के वकलस के आलोक में भरत के नरिवाचन आयोग की भूमकल पर चरचल कीजयि । (वर्ष 2022)

PDF Refernce URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reimagining-free-and-fair-elections>

